



दूरभाष 0522-2218464

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(हाइडिल)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: 626/627 छठवॉ तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

aopension.cehydel@gmail.com

संख्या: 1400/ ले०अधि०(पें०)/मु०अभि०(हा०)/दिनांक: 13/10/17

ई० मेल
स्पीड-पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/
पूर्वांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/
दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ/
केस्को, कानपुर।

अति महत्वपूर्ण,
अनुपालन हेतु

विषय:- अनंतिम उपादान स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उक्त के सम्बन्ध में कारपोरेशन आदेश संख्या 1536-पीएण्डआर-28/पाकालि/2003-46पी/89 दिनांक 21.05.03 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 4 में निम्नलिखित अंकित है:-

"विभागीय/न्यायिक कार्यवाही से आच्छादित मामलों में अन्तिम रूप से पेंशन न स्वीकृत की जाये। ऐसे मामलों में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा मामले में अन्तिम निर्णय तक अनंतिम पेंशन स्वीकृत की जायेगी किन्तु ग्रेच्यूटी रुकी रहेगी"। सी०एस०आर० का अनुच्छेद 351 'क' 'क'।

अवगत कराना है कि सम्बन्धित खण्ड कार्यालयों से अवर अभियन्ताओं के प्रेषित किए जाने वाले अन्तिम पेंशन/ग्रेच्यूटी के प्रकरण का निस्तारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि मुख्य अभियन्ता(हाइडिल) के डी०पी० अनुभाग, उ०प्र० पाकालि के सभी डी०पी० अनुभाग एवं सम्बन्धित कार्यालय/प्रबन्ध निदेशक कार्यालय स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही/जाँच आदि की सूचना प्राप्त नहीं हो जाती है।

उक्त सम्बन्ध में सूचनीय है कि खण्ड कार्यालयों से प्राप्त पेंशन प्रकरणों के परीक्षण करने पर उक्त आदेश के विपरीत बिना डी०पी० आदि की सूचना प्राप्त किए ही सेवानिवृत्त अवर अभियन्ताओं के अनंतिम पेंशन स्वीकृत किए जाने के साथ-साथ उन्हें अनंतिम उपादान के रूप में 90 प्रतिशत या उससे अधिक के राशि की स्वीकृति भी प्रदान की जा रही है, जो पेंशनरी प्राविधानों के विपरीत है। यह भी सूचनीय है कि अवर अभियन्ताओं के अन्तिम पेंशन/उपादान राशि स्वीकृति हेतु खण्ड कार्यालयों से प्राप्त प्रकरणों की जब इस कार्यालय स्तर पर जाँच की जाती है, तब यह पता चलता है कि उन अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही/विविध अग्रिम का प्रकरण चल रहा है। इस प्रकार खण्ड कार्यालयों द्वारा अवर अभियन्ताओं के अनंतिम उपादान की राशि इस कार्यालय को अन्तिम पेंशन/ग्रेच्यूटी के प्रकरण स्वीकृति हेतु भेजने से पूर्व ही स्वीकृत कर दिए जाने के कारण उनके विविध अग्रिम आदि का समायोजन कारपोरेशन द्वारा किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है, जिसके कारण विभाग को आर्थिक क्षति होने की सम्भावना बनी रहती है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया खण्ड कार्यालयों को कारपोरेशन आदेश 1536 दिनांक 21.05.03 में अंकित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में कारपोरेशन को होने वाली क्षति के समायोजन हेतु उत्तरदायित्व स्वीकृतिकर्ता अधिकारी का होगा।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)



दूरभाष 0522-2218464

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(हाइड्रिल)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: 626/627 छठवों तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

aopension.cehydel@gmail.com

संख्या: 1400 / ले०अधि०(पें०) / मु०अभि०(हा०) / तददिनांक: 13/10/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या: 1400 / ले०अधि०(पें०) / मु०अभि०(हा०) / तददिनांक: 13/10/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा) / (नियोजन) / (कम्प्यूटराइजेशन) / (सामग्री प्रबन्ध) / (जांच समिति) / (रेस्पो) / (नियंत्रण एवं अनुश्रवण इकाई) / (ऊर्जा कय अनुबन्ध निदेशालय) / सचिव, विद्युत सेवा आयोग / निदेशक (विद्युत प्रशिक्षण संस्थान) / अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) मुख्यालय।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या: 1400 / ले०अधि०(पें०) / मु०अभि०(हा०) / तददिनांक: 13/10/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ को पाकालि के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)